V

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– विविध आपूर्ति अपील वाद सं0–04/2016–17 कपिलदेव सिंह बनाम राज्य अनु0पदा0,गोगरी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
07.11.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद सख्या–04/2016–17 कपिलदेव सिंह पे0 स्व0 जगत सिंह, साकिन–बाबू चकला, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक–557 दिनांक 08.03.2016 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 196/गो0, दिनांक 12.02.2016 द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अवर निबंधक, गोगरी द्वारा दिनांक 13.02.2016 को जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पंचायत–शेरचकला के दुकान की जॉच की गयी और जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि जॉच पदाधिकारी को किसी प्रकार की पंजी बिक्रेता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उपभोक्ताओं के लिखित ब्यान के आधार पर कि खाद्यान्न में प्रति किलो एक रूपया अधिक लेने का आरोप है। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी और उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, का उल्लेख करते हुए उक्त आरोप के आलोक में उनकी अनुज्ञप्ति सं0–32जी0/2007 को रद्द कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश दिनांक 08.03.2016 के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अपील दायर किया जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा गुण दोष के आधार पर अपीलीय प्राधिकार के यहॉ अपील निष्पादित कराने का आदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में अपील दायर किया गया। जॉच पदाधिकारी द्वारा यह आरोप कि पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। क्योंकि पंजी आलमीरा में था जिसका चाभी पत्नी रक्खी थी और पत्नी डाक्टर के यहॉ बच्चे का ईलाज हेतु गयी थी। इस कारण पंजी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में पारित न्यायादेश की कंडिका iii में स्पष्ट कहा गया है कि उचित मूल्य के दुकान के बिक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के अन्तर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो न्यायालय में मामला विचाराधीन रहने तक अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी। कंडिका–V में कहा गया है कि 90 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण के जॉचोपरानत अनुज्ञप्ति बहाल किया जा सकता है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा सीधा अनुज्ञप्ति को निलंबित नहीं कर अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में	

लिखा है कि उपभोक्ताओं से अधिक कीमत लेने का लिखित ब्यान लिया गया है। उपभोक्ताओं का लिखित ब्यान कहीं रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा लगाया गया यह आरोप कि पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया, इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह आरोप भी सही प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक निर्दोष है अतः अपील स्वीकार करते हुए रद्द अनुज्ञप्ति संख्या 32जी/2007 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है जिला पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 196/गो0, दिनांक 12.02.2016 द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी श्री विनय कुमार प्रसाद, अवर निबंधक, गोगरी द्वारा दिनांक 13.02.2016 को श्री कपिलदेव सिंह, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पंचायत–शेरचकला के अनुज्ञप्ति संख्या 32जी0/2007 के दुकान की जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि श्री कपिलदेव सिंह द्वारा जॉच पदाधिकारी को किसी प्रकार की पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया। उपभोक्ताओं के लिखित ब्यान के आधार पर खाद्यान्न प्रतिकिलो एक रूपया अधिक लेने का आरोप है तथा बिक्रेता के वितरण प्रणाली कार्यशैली अत्यादि को लेकर लाभार्थियों में काफी रोष है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 323 दिनांक 14.02.2016 द्वारा बिक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया तथा उक्त आरोप के आलोक में बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 का घोर उल्लंघन के आलोक में बिक्रेता श्री कपिलदेव सिंह, जन वितरण प्रणाली पंचायत–शेरचकला के अनुज्ञप्ति संख्या–32जी0/07 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 557 दिनांक 08.03.2016 के द्वारा रद्द कर दिया गया।

अपीलाथी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि बिक्रेता के विरूद्ध किसी भी स्तर से किसी उपभोक्ता का कोई शिकायत नहीं है। यहॉ तक की उपभोक्तागण ने लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को आवेदन दिया है कि बिक्रेता द्वारा राशन एवं किरासन तेल उचित मूल्य एवं कूपन में अंकित मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल दिया जाता है। उपभोक्तों को बिक्रेता से किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बिक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न लाभार्थियों के बीच वितरण किया गया है एवं अधिक राशि ली गयी है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि जॉच पदाधिकारी के बिक्रेता के दूकान की जॉच में उपभोक्ताओं द्वारा यह शिकायत किया जाना कि बिक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न लाभार्थियों के बीच

वितरण किया गया है एवं अधिक राशि ली गयी है। अपीलार्थी का यह कहना कि जॉच पदाधिकारी के समक्ष पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि पंजी आलमीरा में रक्खा था जिसका चाभी पत्नी रक्खी थी और उस वक्त पत्नी डॉक्टर के यहॉ बच्चे का ईलाज हेतु गयी थी। इस कारण पंजी प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस कथन के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलार्थी का यह कहना कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में पारित न्यायादेश की कंडिका iii में स्पष्ट कहा गया है कि उचित मूल्य के दुकान के बिक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के अन्तर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो न्यायालय में मामला विचाराधीन रहने तक अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी। उनका यह कथन कि कंडिका–V में कहा गया है कि 90 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण के जॉचोपरानत अनुज्ञप्ति बहाल किया जा सकता है। इस मामले में यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत इस संबंध में कोई मामला दर्ज होने के जानकारी किसी भी स्तर से इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है।

अपीलार्थी का यह कहना कि उपभोक्ताओं से अधिक कीमत लेने का लिखित ब्यान लिया गया है वह रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। यह भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि जॉच पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट जिला स्तर पर समर्पित किया गया था। उनका यह कहना कि पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया, इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थी ने स्वयं अपने अपील आवेदन में स्वीकार किया है कि पंजी आलमीरा में था जिसका चाभी पत्नी रक्खी थी और पत्नी डाक्टर के यहॉ बच्चे का ईलाज हेतु गयी थी। इस कारण पंजी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7688/16 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समक्ष प्राधिकार के यहॉ अपील दायर करने का आदेश दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 557/दिनांक 08.03.2016 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता,
खगड़िया

समाहर्ता,
खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3
	ई0 वी0 नं0......454....../ विधि दिनांक....6/12/2017 प्रतिलिपि:–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ~~प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।~~ प्रतिलिपि:– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 6/12/17 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 6/12/17	